

के.एस.टी.

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

145/25

धामू बनाम हंगामा वगैरह

तारीख

24.11.2015

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

रज. 3 अ. 10

नम्बर व तारीख

अहकाम जो इस

हुक्म की तामील

जारी हुए

पेशी

श्री. वृत्तेश्वर शर्मा / श्री. राजेश्वर शर्मा

लुकास म. व. 12

4.5

17.12.20

धामू बनाम हंगामा वगैरह
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट संख्या 01, 02 उपस्थित। उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 29.03.2016 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन वाद पत्र संख्या 83/2015 का निस्तारण दिनांक 16.04.2018 को हो चुका है जिसकी अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जा चुकी है। जिसके अपील संख्या 2018/00097 है उक्त अपील में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेशार्थ नियत है। चूंकि यह अपील 225 राज.काश्तकारी अधिनियम की है जो सारहीन हो चुकी है।

अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर